

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 22.06.2025

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में NBW वांछित/ वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही 08 वारंटी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा वारंटी (एनबीडब्लू) अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 22.06.2025 की रात्रि को चलाए गये अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा कुल वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका विवरण थानावार निम्नवत है-
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 04 वारंटीगण नाम पता – 01.मो0 आसिम पुत्र वली मो0 निवासी मलिक जोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02.रामजतन पुत्र आसरे निवासी लडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 03.कृपाल निषाद पुत्र बलिराज निवासी बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 04.दशरथ निषाद पुत्र राजाराम निवासी बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर

गिरफ्तारी टीम – उ0नि0 श्री राजकुमार मिश्रा , उ0नि0 श्री सुरेश यादव, हे0का0 कोमल प्रसाद, का0 अमित यादव, का0 संजीव यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 03 वारंटीगण नाम पता 01. गोविन्द पुत्र नाथू हरिजन निवासी एकला माफी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 02. बुद्धिराम पुत्र रामआसरे उर्फ रामअधारे निवासी एकलामाफी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 03.मनोज दूबे पुत्र चन्द्रभान दूबे निवासी घूरापाली थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर

गिरफ्तारी टीम – उ0नि0 श्री ददन राय , उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह , कां0 चन्दन यादव , कां0 लालजी गौड़।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 वारंटी नाम पता मेवालाल पुत्र रामकरन निवासी गागरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर
गिरफ्तारी टीम – उ0नि0 श्री सचिन्द्र नाथ राय, का0 हरिन्द्र यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 196 वाहनों से 2,33,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 196 वाहनों से 2,33,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त धर्मेन्द्र गिरि पुत्र फूलचन्द्र निवासी मोहल्ला ठठरहिया कस्बा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 22.06.2025 को कुरियापार बेलहसा बाग के पास 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धर्मेन्द्र गिरि पुत्र फूलचन्द्र निवासी मोहल्ला ठठरहिया कस्बा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 241/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 400 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, कां0 प्रवेश यादव, कां0श्यामबहादुर यादव।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0स0 129/2025 धारा 65(2), 89, 115(2), 352 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता दुर्गेश निषाद पुत्र पतिराम निवासी बेहिला थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को घोरहट के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 06.05.2025 को थाना महुली पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 22.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल*-** उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, कां0 अभिषेक सिंह।